

# मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी مولانا آزارنيت المروويو نيورس MAULANA AZAD NATIONAL ÜRDU UNIVERSITY

A Central University under Ministry of Education Government of India



### हिन्दी प्रकोष्ठ / Hindi Cell

सं.MANUU/Hindi Cell/2024/1449

दिनांक/Date: 04 September, 2024.

## परिपत्र / CIRCULAR

This Circular is issued in reference to letter No.11011/4/2022- रा.भा.ए. dt.07.11.2023 received from Dept. of Higher Education, Ministry of Education, Govt. of India .

SECTION 3(3) OF OFFICIAL LANGUAGES ACT, 1963, both Hindi and English shall be used for all official work in the offices controlled by the Central Government.

Under section 3(3) of the Official Language Act, Resolutions, General Orders, Rules, Notifications, Administrative and Other Reports, Press Communiqués, Administrative and Other Reports and Official Papers to be laid before a House or Houses of Parliament, Contract, Agreements, Licenses, Permits, Tender Notices and Forms of Tender should invariably be, issued bilingually. For any violation, the officer signing such documents will be held responsible.

Accordingly, all the Deans/Heads of the Department / Section Heads / Incharge and all Hindi Pragya/Parangat passed candidates are here by requested to take note of the above provisions under Official Language Act, 1963 in regard to their official work.

In case of any assistance in Hindi, Hindi Cell may be contacted.

कुलसर्चिव Registrar


सेवा में / To All Deans/HoDs/ Principals/ Incharges of HQ/Off-Campuses Proctor, DSW, Provost(Boys & Girls)

प्रति / Copy to:

- 1. O/o V.C /Registrar/OSD-I/OSD-II/F.O/COE/Librarian
- 2. All the Hindi Pragya/Parangat passed Candidates
- 3. Director, CIT for uploading on University Website
- 4. Concerned file

कुलस**्त्र**ं / Registrar मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी Maulana Azad National Urdu Universi गच्चीबौली, हैदराबाद-५०० ०३२. Gachibowli, Hyderabad-500 032.







मारत मरकार शिक्षा प्रजानन्य उच्चतर शिक्षा चिन्नार शास्त्रा मस्त्र नई दिल्ली 110 115 GOVERNMENT OF BOILD MINISTRY OF EDUCATION DEPARTMENT OF HIGHER FOLLSTON SHASTRI BHAVAN NEW DELHI 110 175

सं.ई. 11011/4/2022-रा.भा.ए

दिनांक : 07.11.2023

#### कार्यातय जापन

विषयः शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी संवंद्व/अधीनस्य कार्यालयों/संस्थानों/आयोगों/विश्वविद्यालयों/बोर्डी आदि में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्वित करना ।

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबंद/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों आदि के लिए यह सांविधिक अपेक्षा है कि वे राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के तहत उल्लिखित सभी 14 दस्तावेजों (सूची संलग्न) को द्विभाषी रूप में अर्थात हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ जारी करें। परंतु यह देखने में आया है कि शिक्षा मंत्रालय के नियत्रणाधीन कई संबद/अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थानों/आयोगों/ विश्वविद्यालयों/बोर्डी आदि में उक्त अधिनियम के उपवंधों का शत-प्रतिशत अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

2 अतरिय सभी संयंधितों से अनुरोध है कि वे राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के तहत आने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में एक साथ जारी करे और जारी कराते समय यह ध्यान रखा जाए कि हिंदी रूपांतर, अंग्रेजी रूपान्तर के ऊपर/पहले रहे। इस संयंध में तत्काल संदर्भ के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी कार्यालय जापन संख्या 12024/10/90-रा.भा (ख-2). दिनांक 26 जून.

> (जगदीश राम पौरी) संयुक्त निदेशक (रा.भा )

सेवा में


शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी संवंद्ध/अधीनस्थ कार्यालयो/सस्थानो/ आयोगों/विश्वविद्यालयों/बोर्डो/संगठनों आदि के प्रमुख ।

#### प्रतिलिपि

1. संयुक्त सचिव (राजभाषा और प्रशासन), उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय को सूचनार्थ।

2. गार्ड फाइत।

YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA



# धारा 3(3) के तहत आने वाले दस्तावेजों की सूची

क्र. सं.	विवरण	particulars
1.	सामान्य आदेश	General Orders
2.	संकल्प	Resolution
3.	परिपत्र	Circulars
4.	नियम	Rules
5.	प्रशासनिक या अन्य प्रतियेदन	Administrative or other reports
6.	प्रेस विज्ञितियां	Press Release/Communiques
7.	संविदाएं	Contracts
8.	करार	Agreements
9.	अनुजिसया	Licences
10.	निविदा प्रारुप	Tender Forms
11.	अनुजा पत्र	Permits
12.	निविदा सूचनाएं	Tender Notices
13	अधिस्चनाएं	Notifications
14.	संसद के समक्ष् रखे जाने वाले प्रतिवेदन	
4 3 3 3	तथा कागज पत्र	before the Parliament

silveri